न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1344–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.2.12 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 537/निगरानी/2010–2011.

1– मार्तण्ड सिंह चौहान तनय श्री तेज प्रताप सिंह

2– राज राखन सिंह तनय श्री तेज प्रताप सिंह चौहान

3– राजेन्द्र बहादुर सिंह

4– शीलध्वज सिह चौहान

5– व्यंकट बहादुर सिंह

6– जीवेन्द्र सिंह चौहान

4, 5, 6, 7, पिसरान स्वर्गीय श्री शिवनाथ सिंह चौहान

7– जयराम सिंह तनय स्व0 श्री रघुपति सिंह चौहान

सभी निवासीगण ग्राम हडबडो पत्रालय उपनी थाना

कोतवाली सीधी तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– सनत कुमार सिंह तनय स्व0 श्री नागेश्वर सिंह चौहान

2– रण बहादुर सिंह तनय स्व0 श्री नागेश्वर सिंह चौहान

3– मु0 महरजुआ बेवा नागेश्वर सिंह

4– बिजय बहादुर सिंह तनय स्व0 पृथ्वीराज सिंह

सभी निवासी ग्राम हडबड़ो पत्रालय उपनी तहसील गोपदबनास

जिला सीधी म0प्र0 ——— अनावेदकगण

(आवेदकगण के अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा)

(अनावेदकगण के अधवक्ता श्री शेषमणि यादव)

आ दे श

(आज दिनांक 10.12.2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 537/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 23.2.12 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक सनत कुमार व्द्धारा बन्दोवस्त दल कमांक –1 को प्रस्तुत आवेदन पर दल कमांक–1 ने दिनांक 12.9.1993 को बटवारा कर दिया किन्तु पटवारी द्धारा राजस्व अभिलेख में सुधार नहीं किया गया। तदोपरांत अनावेदक सनत कुमार ने तहसीलदार के यहा दिनांक 9.8.10 को अभिलेख में सुधार हेतु आवेदन लगाया । तहसीलदार ने दिनांक 25.11.10 को यह आदेश किया कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 28.9.10 को अपील में पहले ही निर्णय दिया गया है, अतः तहसीलदार अब आवेदन पर विचार नहीं कर सकते । तदोपरांत आवेदक मार्तण्ड ने कलेक्टर के समक्ष निगरानी दिनांक 29.11.10 को प्रस्तुत की जिसमें कलेक्टर ने दिनांक 25.4.2011 को निगरानी स्वीकार करते हुये यह कहा कि बन्दोवस्त दल कमांक–1 द्धारा आवेदक मार्तण्ड को सहखातेदार होने के बावजूद सुनवाई का अवसर नहीं दिया । इस आदेश के विरूद्ध सनत कुमार ने दिनांक 8.6.2011 को अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्धारा लिखा कि जब अनुविभागीय अधिकारी ने स्थगन दिया तो तहसीलदार को अपना आदेश जारी नहीं करना था, यह कहते हुये उन्होंने तहसीलदार का आदेश निरस्त निगरानी को स्वीकार किया । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक मार्तण्ड आदि ने राजस्व मण्डल में दिनांक 7.4.12 को यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण के स्वत्व एवं हिस्से की भूमियों में जिसमें अनावेदकगण का किसी भी प्रकार से कब्जा दखल व हिस्सा नहीं बनता था, आवेदकगण के पिता के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर उनका फर्जी हस्ताक्षर परिवर्तन पंजी बन्दोवस्त में सहमति के रूप में कराया गया और करके आवेदकगण के हिस्से की भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी कीमती और अच्छी किस्म की भूमि है, को बेईमानी से आधे पैतृक हिस्से से ज्यादा लेने के प्रयोजन से, अनावेदकगण ने बन्दोवस्त परिवर्तन पंजी में फर्जी एवं कूट रचित तरीके से दिनांक 12.9.1993 को बटवारा करवाया जिसमें आवेदकगण को 1/3 ही हिस्सा दिया गया है ।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 12.9.1993 को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने नामांतरण उनके पूर्वजों के नाम स्वीकार किया है तथा उनके पिता की मृत्यु हो गई है । नामांतरण आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी । जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन दिया गया है । चूंकि तहसीलदार का आदेश मूल आदेश की श्रेणी में नहीं आता इसलिये निगरानी निरस्त की जावे ।

5– मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण के अभिलेखों के परीक्षण एवं अभिभाषकों के तर्कों के प्रकाश में मैं प्रथम दृष्टया यह पाता हूँ कि बटवारे के समय वादभूमि से संबंधित समस्त हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं मिल पाने के परिणामस्वरूप प्रकरण में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर विभिन्न स्तरों पर वाद का कारण बनी । इस बात के प्रकाश में मैं यह आवश्यक समझता हूं कि प्रकरण के मूल बिन्दुओं का विधिवत पुनः परीक्षण करते हुए हितवद्ध पक्षकारों के अधिकार उनको स्पष्ट एवं पारदर्शी तरीके से मिल जाएं, यह विधिवत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य एवं आवश्यकता के दृष्टिगत मेरे द्वारा यह प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में

समस्त हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना पत्र जारी कर अपने पक्ष समर्थन का पूर्ण अवसर देते हुये निम्नानुसार कार्यवाही करें :–

अ– बन्दोवस्त के समय से लेकर अभी तक वादग्रस्त भूमियों के नक्शों एवं राजस्व अभिलेखें का एकजाई ब्यौरा बनाये । प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिये यदि इसके पूर्व के नक्शों एवं राजस्व अभिलेख का संदर्भ लेने की आवश्यकता हो, तो उन्हें भी देखकर उनका व्यौरा बनायें ।

ब– वादग्रस्त भूमियों से संबद्ध समस्त पक्षकरों को रिकार्ड पर लेते हुये वादग्रस्त भूमियों के संबंध में उनके विधिमान्य हितों का विधिवत विनिश्चय करें ।

स– वादग्रस्त भूमियों से संबंध समस्त पक्षकरों के विधिमान्य हितों को उन्हें दिलाने की दिशा में विधि अनुसार कार्यवाही करें ।

द– उपरोक्त समस्त कार्यवाहियां करते हुये तहसीलदार यह सुनिश्चत करें कि वादग्रस्त भूमियों पर संबंधित पक्षकारों के विधिमान्य हिस्सों का निर्धारण इस प्रकार हो कि भूमि के विभिन्न भागों के मूल्यों (जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट अधिक कीमत होने की संभावना होनी इत्यादि), हिस्सों में आने वाले रकबे, पुराने कब्जों इत्यादि को भी पूरी तरह ध्यान में रखते हुये पक्षकारों के मध्य हिस्सों का निर्धारण किया जावे ।

अतएव उपरोक्त निगरानी निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अ से द के बिन्दुओ पर समस्त कार्यवाही कर उसे अपने आदेश में अभिलिखित करते हुए वे इस आदेश की उनको संसूचना के 6 माह के भीतर अपना बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

आदेश पारित । अभिलेख वापस हों । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा. द. हो ।

10.12.15

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर